कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर
व्यापम भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771– 2972780 फैक्स नं. 0771–2972782, Website - vyapam.cgstate.gov.in

क्रमांक / 328 /स्था./व्यापम/2023 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक 21/02/23

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के संचालक मंडल की 24 वीं बैठक दिनांक 25 जनवरी 2023 के एजेण्डा क्रमांक 10 – "व्यापम की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किए जाने पर विनियम" का अनुमोदन निम्नानुसार किया गया :–

I. अनुसूचित साधनों के दायरे में आने वाले कृत्य

(अ) आचरण/साधन – परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल/कमरे में अभ्यर्थियों द्वारा अंगीकृत किये निम्नलिखित आचरण को अनुचित साधन माना जाएगा :–

1. किसी प्रकार के पक्ष का प्रचार करना।
2. प्रतिरूपण का प्रयास करना या प्रतिरूपण के लिए किसी व्यक्ति को संलग्न करना।
3. निषिद्व वस्तुओं का आधिपत्य में रखना जिसमें सम्मिलित है, डिजिटल गैजेट, आदि।
4. चिल्लाना/बातचीत करना/फुसफुसाना हाव–भाव के माध्यम से कम्युनिकेट करना।
5. परीक्षा हाल/रूम से किसी दूसरे अभ्यर्थी के इलेक्ट्रानिक या डिजिटल गैजेट से या किसी अन्य साधनों से नकल करना।
6. अन्य अभ्यर्थियों के साथ प्रश्न पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका की अदला–बदली करना।
7. निषिद्व वस्तुओं को सौंपने से इंकार करना या नष्ट करना।
8. संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इंकार करना।
9. अवज्ञा करना, आज्ञा पालन न करना, दुर्व्यवहार करना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन न करना।
10. सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार उत्तर पुस्तिका/संबंधित दस्तावेज को वापस करने से इंकार करना या वापस न करना।
11. परीक्षा संचालित करने में संलग्न कर्मचारियों को परेशान करना, धमकी देना या शारीरिक क्षति पहुंचाना।

(ब) कार्य :– निम्नलिखित में से कोई भी कार्य परीक्षार्थी या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा परीक्षा संचालन में बाधा माना जाएगा :–

1. परीक्षा केन्द्र के परिसर में चिल्लाना।
2. परीक्षा केन्द्र के भीतर तथा उसके आस–पास के परिसर में निर्बाध परीक्षा संचालन में कोई विवाद उत्पन्न करना।

II. अधिरोपित की जाने वाली शास्तियां :–

अनुचित साधनों के उपयोग के लिये समिति द्वारा निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित की जा सकेगी –

1. उसकी संपूर्ण परीक्षा का निरस्तीकरण।
2. अनुबद्व समय 2 वर्ष के लिये मण्डल द्वारा संचालित की जाने वाली भविष्यकालीन परीक्षाओं के लिये अभ्यर्थी को वर्जित करना।
3. ऐसे अनुचित साधन मामलों में जो भारतीय दण्ड संहिता के अधीन कार्यवाही को आमंत्रित करती है, प्रथम सूचना प्रतिवेदन एफ.आई.आर. दर्ज कराना।
4. संबंधित विधि के अधीन तथा मण्डल के संबंधित आदेश के अनुसरण में अन्य कोई कार्यवाही करना।

- ❖ स्ट्रांग रूम प्रभारी द्वारा स्ट्रांग रूम में अनुचित साधनों का अभिलेख सुरक्षित संधारित किया जाएगा।
- ❖ इन विनियमों से सुसंगत संबंधित आदेश जारी किये जाएंगे तथा इन विनियमों का पालन करने के लिये मानक परिचालन निर्मित की जाएगी।

III. अनुचित साधन समिति

अनुचित साधन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–

1. नियंत्रक – अध्यक्ष
2. मण्डल के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य – सदस्य
3. संयुक्त नियंत्रक (परीक्षा) – सदस्य
4. सहायक नियंत्रक (परीक्षा) – सदस्य सचिव

IV. मानक परिचालन

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिवेदित अनुचित साधन तथा हस्तक्षेप के मामलों को नियंत्रक उसे अनुचित साधन समिति को भेजेगा। समिति प्रकरणवार परीक्षण करेगी तथा कार्यवाही के संबंध में निर्णय लेगी तथा उसे विनिश्चयन के लिये सिफारिशों के साथ अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी। अध्यक्ष का विनिश्चिय अंतिम होगा।

"अनुचित साधनों का प्रयोग किए जाने पर उपरोक्त विनियम" तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

नियंत्रक
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक / /स्था./व्यापम/2023 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक ————

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, अध्यक्ष महोदय, छ.ग. व्यापम को सूचनार्थ।
2. निज सहायक, नियंत्रक छ.ग.व्यापम को सूचनार्थ।
3. संयुक्त नियंत्रक (स्थापना) शाखा छ.ग. व्यापम को सूचनार्थ ।
4. संयुक्त नियंत्रक (परीक्षा) शाखा छ.ग. व्यापम को सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी, छ.ग. व्यापम को सूचनार्थ ।
6. सहायक नियंत्रक (भंडार) छ.ग. व्यापम को सूचनार्थ ।

नियंत्रक
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
अटल नगर, नवा रायपुर